



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032021-226018  
CG-DL-E-19032021-226018

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1174]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 2021/फाल्गुन 28, 1942

No. 1174]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 2021/PHALGUNA 28, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2021

का.आ. 1266(अ).—केंद्रीय सरकार, समय - समय पर यथा-संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय व्यापार वर्गीकरण (एचएस), 2017, अनुसूची -1 (आयात नीति) के अध्याय के निम्नलिखित मदों के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कोटा घोषित किया है।

एगजिम कोड	मद विवरण	आयात नीति	वित्तीय वर्ष के लिए कोटा (2021-2022)
0713 60 00	तूर/अरहर (कजानस कजन)	वर्जित	4 लाख एम.टी.
0713 31 90	मूंग [एसपीपी विग्रा रेडियाटा (एल) विल्सेक के बीन्स]	वर्जित	1.5 लाख एम.टी.

2. आयातों को मिलर्स / रिफाइनर्स / ट्रेडर्स को अनुमति दी जाएगी और डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार एल्गोरिथम आधारित लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवेदक की पूर्व-निर्धारित संख्या के बराबर आवंटित किया जाएगा।
3. उपरोक्त कोटा प्रतिबंध किसी भी द्विपक्षीय / क्षेत्रीय समझौते / समझौता ज्ञापन के तहत सरकार की आयात प्रतिबद्धताओं पर लागू नहीं होगा।
4. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी। वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए उपर्युक्त कोटा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार आवंटित किया जाएगा।

[फा. सं. 14/3/2018/-ईपी (एग्री-III) भाग]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

**नोट :** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी, 2017 के का.आ. 172(अ) के तहत दिनांक 17 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 36/2015-2020 के तहत जारी की गई थी और उसे दिनांक 28 मार्च 2020 क असाधारण का.आ.1225 (अ), के तहत अंतिम संशोधित अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई।

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2021

**S.O. 1266(E).**—In exercise of powers conferred by section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby notifies the annual quota for the fiscal year 2021–22 for the following items of Chapter 7 of the Indian Trade Classification (Harmonized System), 2017, Schedule-1 (Import Policy):

EXIM code	Item description	Import Policy	Quota for fiscal year 2021-2022
0713 60 00	Tur/Pigeon peas ( <i>Cajanus cajan</i> )	Restricted	4 Lakh MT
0713 31 90	Moong [Beans of the SPP <i>Vigna Radiata</i> (L.) Wilczek]	Restricted	1.5 Lakh MT

2. Import shall be allowed to the Millers/Refiners/**Traders** and will be allocated equally to pre-determined numbers of applicant **through an algorithm based lottery system**, as per procedure to be notified by DGFT.

3. The above quota restriction will not apply to Government's import commitments under any bilateral/regional Agreement/Memorandum of Understanding.

4. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette. The above mentioned quota for the fiscal year 2021-2022 shall be allotted as per detailed procedure to be notified by Directorate General of Foreign Trade.

[F. No. 14/3/2018-EP (Agri.III) (pt.)]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and last amended *vide* notification published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* S.O. 1225(E), dated the 28<sup>th</sup> March 2020.